श्री राम अवधेश सिंह : मंत्री महोदय क्या इस विषय में अटार्नी जनरल से राय जानेंगे ?

उपसभापति : आप तशरीफ रखिये ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शिकायत मेंबर ने इसमें पूछा है, जयप्रकाश नारायण अस्पताल, हिन्दू राव अस्पताल और गरु तेगबहादुर अस्पताल, यही नहीं, बल्कि सी० जी० एच०एस० की कुछ डिस्पेंसरियों में सरकारी मुलाजमीन तक को दवाइयां नहीं दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि बाहर से खरीद ली जायें ।

क्या मंत्री जी की इसकी जानकारी है ? अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको यह जानकारी दे रहा हूं और आश्वासन चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्यों वह इसकी इंक्वायरी करेंगे ?

†شری محمد افضل عرف م۔افضل : میں منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو شکایت ممبر نے اس میں پوچھا ہے ۔ جے پرکاش نارائن اسپتال ہندو راؤ اسپتال ۔ اور گورو تیغ بہادر اسپتال یہی نہیں بلکہ سی۔ جی ایچ ایس کی کچھ ڈسپنسریوں میں سرکاری ملازم تک کو دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے کہ باہر سے خرید لی جائیں ۔ کیا منتری جی کو اس کی جانکاری ہے ۔ اگر ان کو اس کی جانکاری نہیں ہے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو یہ جانکاری دے رہا ہوں ۔

†[ ] Transliteration in Arabic script.

SHRI M. L. FOTEDAR : I Will tell the MBI to get a statement from Mr. Afzal.

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Birth of a baby with AIDS virus in AIIMS

*365. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have constituted a Committee to look into the controversial case of the birth of a baby with AIDS virus in AIIMS;

(b) if so, what are the names of members of Committee and the number of sittings the Committee has held so far ; and

(c) if no sitting has been held, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI M.L. FOTEDAR): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The Committee was orginally constituted as under :—

1. Dr. S.P. Tripathy, Chairman
Additional Director General,
I.C.M.R.,
NEW DELHI.
2. Dr. Jacob K. John. Member
Christian Medical College,
VELLORE (Tamil Nadu)
3. Dr. C.J. Vas, Member
Dr. B. Nanavati Hospital,
BOMBAY.
4. Dr. A.N. Safaya, Convenor
Medical Superintendent,
A.I.I.M.S.,
NEW DELHI.

The Committee has been able to hold only one meeting so far in view of the fact that the Convenor of the Committee, Dr. A.N. Safaya, was on long leave. Subsequently, he took premature retirement. One member, Dr. Jacob K. John, was abroad on sabbatical and was available only from 15th March, 1992. Government has since appointed a new Convenor, Dr. Shrinivas, retired Professor of Micro-biology Department, A.I.I.M.S. It is expected that the Committee will submit its final report to the Government by the end of May, 1992.

रेलवे द्वारा भर्ती में भारी कटौती का प्रस्ताव

*366. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेलवे में भर्ती में भारी कटौती करने का विचार रखती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि संबंधित विभागों को आगामी वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 20,000 लोगों की नई भर्ती कम करने के अनुदेश जारी किए जा चुके हैं;

(ग) ये अनुदेश कितनी अवधि के लिए जारी किये गए हैं; और

(घ) इस निर्णय का रेलवे की कार्यकुशलता पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Status of J.K.L.F.

*367. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the period for which the order declaring the JKLF an unlawful body for Government, has expired in January, 1992 ; and

(b) if so, what decision Government have taken in this regard ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN) : (a) The order of the State Government declaring the JKLF an unlawful association under the Jammu and Kashmir Criminal Law (Amendment) Act, 1983 expired on 18 December, 1991.

(b) On the recommendation of the State Government, the Central Government declared JKLF an unlawful association under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, with effect from 18 February, 1992.

*368. [*Transferred to the 27th March*, 1992]

तेल की चोरी के मामले

*369. **श्री ईश दत्त यादव :**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों की मिलीभगत से गुजरात में एक संगठित गिरोह द्वारा पाइपलाइनों से तेल की चोरी किये जाने के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस चोरी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस तेल की चोरी में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कितने अधिकारियों को लिप्त पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग)